न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण सख्या:–146 / 2022 दायर दिनांकः– 10.06.2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 304

उनवान

बृजलाल पुत्र साधू जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

––वादी

बनाम

जगमोहन पुत्र गुटका जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डोन जिला करौली राज0

––प्रतिवादीगण–07

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः–

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार–बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 14.07.2022 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 146 / 22 बृजलाल बनाम जगमोहन आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील / पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:42:39 IST
Reason: SelfAttested